पंचम

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या– 1, 2, 6, 60, 12, 25, 32, 71, 65.

मांग संख्या– 30, 80, 19, 79, 7, 50.

मांग संख्या– 47, 44, 46 एवं 43.

भाग - तीन

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
1.	**श्री भूपेश बघेल**	1	सामान्य प्रशासन	**2 घंटे 30 मिनट**
		2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	
		60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	
		12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	
		25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	
		32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय	
		71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	
		65	विमानन विभाग	
2.	**श्री टी.एस. सिंहदेव**	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	**2 घंटे**
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी)	
		50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	
3.	**श्री उमेश पटेल**	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	**1 घंटा**
		44	उच्च शिक्षा	
		46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	
		43	खेल और युवक कल्याण	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के मार्च, 2022 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2022–2023 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – तीन में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
4. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
5. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
6. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
11. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
12. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
13. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
14. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
15. श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य
16. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
17. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
18. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य

मांग संख्या– 1

सामान्य प्रशासन

मतदेय राशि **रूपये 3,39,68,81,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –1

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिल्हा में अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) संविदा भर्ती कर्मचारियों के नियत वेतनमान में वृद्धि हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

(3) आउट सोर्सिंग बंद करने का उल्लेख नहीं है।

(4) समयमान वेतनमान का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) शासकीय कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान का प्रावधान नहीं है।

(6) अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू करने संबंधी उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) समयमान वेतनमान का उल्लेख नहीं है।

(2) लोक सेवा आयोग की गड़बड़ियों में सुधार का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) दैनिक वेतनभोगी/संविदा/अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए उल्लेख नहीं है।

(4) शासकीय कर्मचारियों के चार स्तरीय वेतनमान के लिए प्रावधान नहीं है।

(5) लोकपाल लागू करने के लिए प्रावधान नहीं है।

(6) अनियमित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए बजट नहीं है।

(7) कोविड काल के दौरान मृत शासकीय सेवक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का उल्लेख नहीं है।

(8) भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही के लिए ठोस योजना नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

संविदा भत्ते में कमी की गयी है।

5. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्थित करने पर्याप्त राशि नहीं दी गई है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के रिक्त पदों के भर्ती हेतु राशि का प्रावधान नहीं है।

(3) संविदा कर्मचारियों को निममित करने का प्रावधान नहीं है।

(4) शासकीय सेवकों के मंहगाई भत्ते को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(5) लोकपाल में मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों को शामिल करने का उल्लेख नहीं है।

(6) घर पहुंच शासकीय सेवाओं के बारे में प्रावधान नहीं है।

(7) समयमान, वेतन, पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है।

(8) लोक सेवा आयोग की गड़बड़ियों को सुधारने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

संविदा, अनियमित कर्मचारियों से नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय कर्मचारियों के क्रमोन्नति, पदोन्नति व चार स्तरीय वेतनमान लागू करने का उल्लेख नहीं है।

(2) शासकीय सेवकों की मृत्यु पश्चात् उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का कोई ठोस कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के स्थानांतरण हेतु कोई ठोस कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 2

सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि **रूपये 4,29,60,90,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 1

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शासकीय सेवकों के आवासों के लिए पर्याप्त आबंटन नहीं है।

2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय सेवकों के नवीन आवास हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।

(2) पुराने शासकीय आवासों के मरम्मत हेतु राशि पर्याप्त नहीं है।

मांग संख्या– 6

वित्त विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 77,34,24,25,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 4

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   सकल वित्तीय घाटा कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।

   (2) राजधानी रायपुर के विकास के लिए नई योजनाएं नहीं है।

   (3) सकल वित्तीय घाटा कम करने कोई प्रावधान नहीं है।

   (4) शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ता का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   राजस्व अनुभाग अंतर्गत विस्तार और प्रशिक्षण के लिये राशि कम दिया गया है।

4. **श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   राज्य के धन का उचित संधारण करने हेतु उचित व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) राज्य योजना आयोग हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

   (2) चिटफंड कंपनियों का पैसा वापसी नहीं हो रहा है, न ही संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही का उल्लेख है।

   (3) अधोसंरचना विकास के लिये राशि कम है।

   (4) सकल वित्तीय घाटा कम करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

6. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में बढ़ रहे ऋण को कम करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

   (2) राजस्व व्यय को कम कर पूंजीगत व्यय अधिक करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पामगढ़ में उप कोषालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 60

जिला परियोजनाओं से संबधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 2,08,65,00,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –23

1. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर राशि अपर्याप्त है।

2. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बलौदाबाजार व भाटापारा को पृथक जिले के रूप में बनाने की योजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के हॉस्टल, ट्रांजिट हॉस्टल का उपयोग हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

   (3) जिला योजना सुदृढ़ीकरण हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

3. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला योजना का मजबूती देने हेतु पर्याप्त राशि देने का जिक्र नहीं है।

मांग संख्या –12

ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 26,34,17,38,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –13

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंप कनेक्शनों को निःशुल्क बिजली प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

(2) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम बदरा में 33/11 के. व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(3) विधानसभा बिल्हा के किसानों को पम्प कनेक्शन दिये जाने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत दरोगी में 33/11 के. व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(5) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम सिलतरा में 33/11 के. व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(6) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत पथरिया विकासखण्ड के ग्राम मुन्दादेवरी में 33/11 के. व्ही. सब स्टेशन का उल्लेख नहीं है।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों को लो–वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने का उल्लेख नहीं है।

(8) बिजली पारेषण में क्षय रोकने हेतु कोई कारगर उपायों का उल्लेख नहीं है।

(9) किसानों को निरंतर कटौती रहित बिजली आपूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।

(10) बिजली देयक को पूर्ण आधा करने का उल्लेख नहीं है।

(11) विद्युत उत्पादक बढ़ोत्तरी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(12) मनियारी नदी स्टाप डेम में विद्युत लाईन विस्तार का उल्लेख नहीं है।

(13) पंप कनेक्शनों को निःशुल्क बिजली प्रदाय का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गरीबी रेखा वालों को एल.ई.डी. लाईट देने वाली योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) बिजली बिल की राशि में भ्रष्टाचार पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

(3) विद्युत उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख नहीं है।

(4) लो वोल्टेज की समस्या दूर करने कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में ऊर्जा शिक्षा पार्क स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मुंगेली जिला में बायो गैस संयंत्र स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्रिड इंटरैक्टिव नवीनीकरण ऊर्जा हेतु राशि कमी है।

(2) बिजली एवं जल प्रभार के लिये पर्याप्त राशि नहीं है।

(3) घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत के लिये राशि अपर्याप्त है।

5. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उपभोक्ताओं को हो रही समस्याओं के निराकरण में ऊर्जा विभाग असफल है।

6. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अकलतरा विधानसभा के विकासखण्ड बलौदा के बलौदा नगर में 132 के.व्ही.ए. के निर्माण का उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने हेतु राशि पर्याप्त नहीं है।

(2) नदी के पास बसे ग्रामों के लो वोलटेज की समस्या को सुधारने का उल्लेख नहीं है।

(3) भाटापारा तथा सिमगा में 33 के.व्ही. के नये सब स्टेशन बनाने का उल्लेख नहीं है।

(4) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में सभी ग्रामों में सोलर लाईट लगाने का प्रावधान नहीं है।

(5) पंचायतों के बकाया बिजली बिल को माफ करने का उल्लेख नहीं है।

(6) बिजली की चोरी को रोकने हेतु उपाय नहीं है।

(7) विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु उल्लेख नहीं है।

(8) पूरे प्रदेश में सोलर स्ट्रीट लाईटों को लगाने हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(9) व्यापार एवं उद्योगों हेतु बिजली के पर्याप्त रियायत का अभाव है।

(10) सभी किसानों के टी.सी. कनेक्शन को परमानेंट करने का उल्लेख नहीं है।

(11) प्रदेश के किसानों को शत् प्रतिशत पंप कनेक्शन हेतु राशि पर्याप्त नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांवों में स्ट्रीट लाईट का प्रावधान नहीं है।

9. श्री रजनीश सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) किसानों को स्थायी विद्युत पंप निश्चित अवधि के भीतर देने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) कृषकों के 5 एच.पी. व 3 एच.पी. मोटरों के संपूर्ण बिजली बिल माफ करने का उल्लेख नहीं है।

(3) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पौंसरा बनियाडीह में स्थापित होने वाले सब स्टेशन हेतु राशि स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 25

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 7,51,70,42,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –12

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) अरपा नदी से रेत के अवैध खनन से बिजली टावर को 3 करोड़ की क्षति पहुंचाई गई है जिसके वसूलने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में रेत माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध खनन कारोबार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) खनिज पट्टे स्थानीय निवासियों को देकर रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) अरपा नदी में अवैध रेत खनन का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) रेत माफियाओं द्वारा किये जा रहे रेत खनन के कारण बढ़ रही रेत की दरों को नियंत्रित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) हीरा खदान की अवैध खुदाई रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) रेत माफियाओं पर कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) डी.एम.एफ. की राशि का दुरूपयोग रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) रेत खदानों पर एन.जी.टी. के निर्देशों के पालन का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) गौण खनिज मद से मुंगेली विधानसभा में निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) मुंगेली विधानसभा गौण खनिज मद से प्राप्त राजस्व का पंचायतों एवं नगरीय विकास में खर्च करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

4. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) खनिज अन्वेषण और विकास हेतु राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (3) खानों का विनियमन और विकास हेतु पर्याप्त राशि कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (4) खनिज अन्वेषण और विकास के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नवीन खनिज के अनुसंधान और विकास हेतु कोई विशेष कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) खनिज पट्टों की दलाली, माफिया राज को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) कोयला माफियाओं पर अंकुश लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) खनिज न्यास निधि की राशि को दुरूपयोग को रोकने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) खानों का विनियमन और विकास हेतु पर्याप्त राशि कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) अवैध रेत, खनिज के परिवहन को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज की पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश में रेत माफियाओं द्वारा अवैध खनन को रोकने उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) महंगी दर पर बिक रही रेत के मूल्य पर नियंत्रण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 32

जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 3,19,87,10,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –24

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) जनसंपर्क विभाग द्वारा बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कराये जा रहे विकास कार्यों के प्रचार–प्रसार का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) जनसंपर्क विभाग द्वारा गलत फर्जी समाचारों को रोकने हेतु उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रचार–प्रसार में भारी भ्रष्टाचार रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) स्थानीय समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को विज्ञापनों में भेदभाव रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    विज्ञापन बिक्री और प्रचार व्यय के लिये पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) समाचार पत्रों की विश्वसनीयता की जांच की कोई विशेष योजना का उल्लेख नहीं है।

    (2) नक्सल प्रभावित ईलाकों में प्रचार–प्रसार का कोई उल्लेख नहीं है।

    (3) जनसंपर्क विभाग द्वारा फर्जी समाचार पत्रों को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

    (4) विज्ञापन में अपव्यय को रोकने कोई उपायों का उल्लेख नहीं है।

    (5) विभागों की नवीन योजनाओं के प्रचार–प्रसार का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रचार–प्रसार में किये जा रहे अत्यधिक खर्च में कटौती करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 71

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मतदेय राशि **रूपये 1,92,32,67,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –35

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) बिलासपुर में सांईस सिटी में संचार हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) पथरिया जिला–मुंगेली में इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र और नवीन स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) बिलासपुर में आई.टी. एवं सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) शहरों को वाई–फाई योजना का लाभ देने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) संचार क्रांति योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) एकीकृत सेवा योजनांतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (2) संचार क्रांति योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

   (4) छत्तीसगढ़ राज्य स्थानिक डाटा हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) डिजीटल संचार सेंवाओं हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) संचार क्रांति योजना के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नवीन **विशेष** योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) नवीन सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है

5. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा को प्राथमिक स्कूल स्तर से बढ़ावा देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) इलेक्टॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी को जनक्रांति बनाने हेतु अधिक से अधिक तकनीकी महाविद्यालय व अन्य महाविद्यालयों युवाओं को लाभ मिलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 65

विमानन विभाग

मतदेय राशि **रूपये 61,49,28,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 44

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) कोरबा जिला अंतर्गत नियमित वायु सेवा का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) रायगढ़ में हवाई पट्टी बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) जशपुर जिला में विमानन सेवा शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) राज्य में विमानन सेवाओं के विस्तार हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) छोटे शहरों को विमानन सेवा से जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) रायपुर एयरपोर्ट को जमीन उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।
   (4) हवाई एम्बुलेंस सेवा विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   नगर विमानन पर पूंजी परिव्यय के लिए पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) नक्सल क्षेत्रों में विमान सेवा प्रारंभ करने हेतु नवीन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) हवाई एम्बुलेंस सेवा विस्तार की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) विमानन के लिए पूंजी परिव्यय के लिए पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।
   (4) विमानन संचालन के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (5) प्रदेश के अन्य नये छोटे शहरों से विमान सेवा जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   बिलासपुर हवाई अड्डे के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

6. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) बिलासपुर के हवाई अड्डे की सुविधा में विस्तार हेतु कोईयोजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश के प्रमुख शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने हेतु पर्याप्त राशि स्वीकृत करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 34,94,83,43,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –22

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत धमनी से चकरभाठा बस्ती होते हुए एयरपोर्ट तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) विकासखण्ड बिल्हा में परसदा–तिफरा से बोदरी पानी टंकी तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत पडहवा तालाब से बंधवा तालाब तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) विकासखण्ड बिल्हा अंतर्गत मुढ़ीपारा अंतर्गत एन.एच. मुख्य मार्ग से बांधा तालाब तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम दगौरी, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, सीसी रोड सड़क सह नाली निर्माण तथा मेनरोड से बस्ती तक निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।

(6) ग्राम धमनी, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, सीसी रोड सह नाली निर्माण तथा धमनी मेन रोड से चकरभाठा बस्ती रोड तक निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) जिला मुंगेली, विकासखण्ड पथरिया, ग्राम हथकेरा से कचर बोर्ड पहुंच मार्ग निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।

(8) जिला मुंगेली, विकासखण्ड पथरिया, ग्राम मचहा से लमती पहुंच मार्ग निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।

(9) ग्राम कोरमी, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर में बाड़ीपारा में सीसी रोड निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(10) ग्राम चुरा घाट/उड़नताल, बिल्हा, बिलासपुर में सामुदायिक भवन निर्माण (स्कूल पारा) का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) ग्राम चुनचुनिया, पथरिया, मुंगेली में सामुदायिक भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(12) जिला मुंगेली, विकासखण्ड पथरिया, ग्राम पथरीगढ़ी में मुख्य मार्ग से गजराज डबरी तक सड़क मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(13) जिला मुंगेली, विकासखण्ड पथरिया के नयापारा से रापाझोरी पहुंच मार्ग हेतु उल्लेख नहीं है।

(14) जिला मुंगेली के पथरिया मुख्य मार्ग से लोहदा पहुंच मार्ग (मरम्मत कार्य) हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(15) जिला मुंगेली के ग्राम रोहराकला, में मुख्य मार्ग से गोवर्धन के खेत तक सड़क मार्ग निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(16) जिला मुंगेली, विकासखण्ड पथरिया, मुख्य मार्ग से ग्राम पंचायत भखारीडीह तक मार्ग निर्माण हेतु उल्लेख नहीं है।

(17) जिला मुंगेली, विकासखण्ड पथरिया के ग्राम सेन्दरी, में मुख्य मार्ग से मुक्तिधाम (हिन्दू) तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(18) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया के ग्राम से परसदा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(19) बिल्हा विधनसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम कडार से भाटापारा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(20) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया के ग्राम लमती से मचहा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(21) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया के ग्राम बावली से भाठापारा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(22) बिल्हा विधनसभा क्षेत्र अंतर्गत पथरिया में सरगांव रामबोर्ड से भरवाडीह पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(23) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम करही से सोनपुरी पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(24) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकसखण्ड बिल्हा के ग्राम कोरमी से बाड़ीपार पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायत नवागांव में लिफ्ट ऐरिगेशन से सिंचाई का उल्लेख नहीं है।

(2) जिला राजनांदगांव के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के भवनों की पूर्णता विषयक उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मनरेगा की समुचित विस्तार हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की किश्तों के भुगतान का उल्लेख नहीं है।

(3) गाँव गंगा योजना का उल्लेख नहीं है।

(4) ग्रामीण बेघरों को घर देने हेतु कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्रामीण सम्पत्ति कर माफ करने का प्रावधान नहीं है।

(6) ग्रामीण एवं शहरी आवास हेतु पर्याप्त बजट नहीं है।

(7) ग्रामीण सड़क हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जल पूर्ति व ग्राम पंचायतों को सहायता प्राप्त राशि में कमी की गयी है।

(2) जिला पंचायत विकास निधि हेतु राशि अपर्याप्त है।

(3) मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना अंतर्गत राशि अपर्याप्त है।

(4) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा हेतु पंचायतों को देय राशि अपर्याप्त है।

(5) राष्ट्रीय शहरीय आजीविका मिशन अंतर्गत राज्यांश की राशि में कटौती की गई है।

(6) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को दी जा रही अनुदान राशि अपर्याप्त है।

5. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गांवो में पंचायत द्वारा संचालित योजनाओं हेतु पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

(2) पंचायत सचिवों को नियमित नहीं करने के कारण बजट में कमी की जाये।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पंचायत क्षेत्र में मजदूर कल्याण की अधिकांश योजनाएं बंद हैं।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रत्येक ग्राम पंचायतों को 1–1 करोड़ रू. की राशि देने का प्रावधन नहीं है।

(2) मनरेगा की समुचित विस्तार हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में गांव गंगा योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) मनरेगा में कार्यरत रोजगार सहायकों के नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्रामीण बेघरों को घर देने हेतु कोई कार्य योजना का प्रावधान नहीं है।

(6) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तीसरी किश्त के भुगतान का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लक्ष्य पूरा करने की योजना का उल्लेख नहीं है।

(8) भाटापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नवीन भवन निर्माण कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा के ग्राम पंडरिया में पंचायत भवन का उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा के ग्राम रैनपुर में नवीन पंचायत भवन का उल्लेख नहीं है।

(3) अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम मुरलीडीह से ग्राम अर्जुनी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम झलमला में ग्राम गौरव पथ निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(5) बलौदा विकासखण्ड के ग्राम जावलपुर में ग्राम गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड के ग्राम डोंगरी से सरई श्रृंगार मंदिर तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का उल्लेख नहीं है।

(7) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोटगढ़ से ओशो आश्रम तक डब्ल्यू.बी.एम. सड़क का उल्लेख नहीं है।

(8) बलौदा विकासखण्ड के ग्राम खिसोरा में ग्राम गौरव पथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(9) अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम रसेड़ा में ग्राम गौरव पथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा स्थित ग्राम कोरबी के लंकेटर तालाब में गहरीकरण का उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) चौहान के घर से नया तालाब तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) साहू के घर से गौठान तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) सीस से जनकपुर पहुँच मार्ग पर डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) रानीगांव पथर्रा तालाब से गौठान तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) धौरामुड़ा सलिहा घुठरी से मुख्य मार्ग तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(6) चोरहादेवरी बाजार चौक से फेलाश शिकारी के घर तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(7) पौंसरा के खेत से सेमरताल खार तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(8) पौंसरा भैयाबंद तालाब से कनवा पुल तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(9) सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण मेन रोड से बस्ती तक लेकर उल्लेख नहीं है।

(10) सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण चौक से प्राथमिक शाला धनुहारपारा तक गोंदईया उल्लेख नहीं है।

(11) सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण नागीन धीवर के घर से नहर तक सेमरताल का उल्लेख नहीं है।

(12) पौंसरा नये तालाब से राजू के खेत तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(13) भाड़ी कार्तिक दास के घर से गौठान तक डब्ल्यू.बी.एम. रोड निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(14) बेलतरा विधानसभा में पौलरा, लखराम सीस, रानीगांव, मदनपुर, डगनिया, भाड़ी पेण्डरवा में बाजार शेड निर्माण का जिक्र नहीं है।

(15) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पेण्डरवा में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(16) बेलतरा विधानसभा के भाड़ी में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(17) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पौंसरा में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(18) बेलतरा विधानसभा के ग्राम सीस में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(19) बेलतरा विधानसभा के ग्राम डंगनिया में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(20) बेलतरा विधानसभा के ग्राम लखराम में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(21) बेलतरा विधानसभा के ग्राम रानीगांव में बाजार शेड निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के ग्राम पंचायत के सचिव को नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

11. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा के ग्राम फेदवानी विकासखण्ड मुंगेली में सी.सी.रोड का अभाव है।

(2) मुंगेली विधानसभा के ग्राम लालाकापा विकासखण्ड मुंगेली में सी.सी.रोड का अभाव है।

(3) विधानसभा मुंगेली के ग्राम धनगांव (च) में सी.सी.रोड का अभाव है।

(4) मुंगेली विधानसभा के ग्राम लछनपुर में सी.सी.रोड का अभाव है।

(5) मुंगेली विधानसभा के ग्राम भरगांव में सी.सी.रोड निर्माण का अभाव है।

(6) मुंगेली विधानसभा के ग्राम महनपुर विकासखण्ड मुंगेली में सी.सी.रोड का अभाव है।

(7) ग्राम भउली खुदै विकासखण्ड मुंगेली में सी.सी.रोड का अभाव है।

मांग संख्या– 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 34,72,98,91,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –22

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) पूरे प्रदेश की पंचायतों में संचालित क्वारेनटाइन सेंटरों में खर्च की गई राशि पंचायतों को वापस किये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (2) विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के तालाबों के गहरीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़ाने हेतु उल्लेख नहीं है।

   (2) शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान एवं मूलभूत सेवाओं के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) वित्तीय सहायता की राशि विस्तार एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपर्याप्त है।

   (2) ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण में राशि अपर्याप्त है।

   (3) त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अंतर्गत मीन उद्योग के लिये पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

   (4) शिक्षा अंतर्गत पंचायतों को देने हेतु अनुदान राशि में कटौती की गई है।

   (5) ग्रामीण आवास हेतु राशि अपर्याप्त है।

   (6) मुख्यमंत्री पेंशन योजना में राशि अपर्याप्त है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के जलाशयों के गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) पंचायतों को समय पर राशि प्रदान करने की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

   (3) ग्राम पंचायतों के अधिकार बढ़ाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

   (4) शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (5) प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जनपद पंचायतों की सहायता राशि पर्याप्त नहीं है।

6. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा के ग्राम कोरमी सोनार में विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत मूलभूत व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर–चांपा जिले में जिला पंचायत द्वारा ब्याज की राशि व्यय करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 28,23,18,85,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 16

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–बदरा, विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम–सिलतरा, विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) ग्राम–सरवानी, विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना करने बजट में प्रावधान नहीं है।

(4) ग्राम–बदरा, विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम–चुनचुनिया, विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(6) ग्राम–सरगांव में ट्रामा सेन्टर खोलने का उल्लेख नहीं है।

(7) बिल्हा विधानसभा के ग्राम–सावतपुर, विकासखण्ड–पथरिया, जिला–मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।

(8) बिल्हा विधानसभा के ग्राम–इच्छापुरी, विकासखण्ड–पथरिया, जिला मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के नागरिकों को निजी अस्पतालों में ईलाज हेतु आयुष्मान योजना/स्मार्ट कार्ड योजना डॉ. खूबचंद बघेल योजना लागू करने का उल्लेख नहीं है।

(2) कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने पर पुनः नियुक्ति करने का उल्लेख नहीं है।

(3) फाइलेरिया बीमारी को रोकने उपयुक्त प्रावधान नहीं है।

(4) एनिमिया की दर को कम करने उपयुक्त कार्ययोजना नहीं है।

(5) शहरी स्वास्थ्य केन्द्र खो खो पारा के उन्नयन का उल्लेख नहीं है।

(6) मठपुरैना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल का प्रावधान नहीं है।

(7) स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(8) 108 एम्बुलेंस सेवा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

(9) यूनिवर्सल हेल्थकेयर हेतु बजट नहीं है।

(10) चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय के लिए पर्याप्त राशि नहीं है।

(11) बस्तर संभाग को मलेरिया मुक्त करने कोई योजना नहीं है।

3. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुंगेली विधानसभा के ग्राम–मालापुर, तहसील–जिला–मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (नवीन) के प्रावधान का अभाव है।

(2) मुंगेली विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रो एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में चिकित्सकों का अभाव है।

(3) जिला चिकित्सालय मुंगेली में चिकित्सकों का अभाव है।

(4) जिला–मुंगेली अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के संबंध में प्रावधान का अभाव है।

(5) मुंगेली विधानसभा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के प्रावधान का अभाव है।

(6) मुंगेली विधानसभा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का अभाव है।

(7) मुंगेली विधानसभा में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का अभाव है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये राशि अपर्याप्त है।

(2) बीमारी के रोकथाम और नियंत्रण के लिये कोई राशि नहीं है।

(3) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य अंतर्गत लघु निर्माण कार्य और भवन निर्माण हेतु राशि अपर्याप्त है।

(4) एलोपैथिक चिकित्सा अंतर्गत चिकित्सकीय उपकरणों हेतु राशि कम है।

(5) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य अंतर्गत बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राशि का अभाव है।

(6) चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूजी परिव्यय हेतु राशि कमी है।

(7) स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान राशि अपर्याप्त है।

(8) केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदान जन उपयोजना अंतर्गत कोविड–19 के संक्रमण का रोकथाम हेतु राशि अपर्याप्त है।

(9) अस्पतालों एवं औषधालय भवनों के निर्माण के लिये राशि अपर्याप्त है।

5. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा में आमजन तक पहुंचाने पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) भाटापारा में 100 बिस्तर अस्पताल खोलने का प्रावधान नहीं है।

(2) कोरोना फ्रंट वारियरों को प्रोत्साहन राशि देने का उल्लेख नहीं है।

(3) अस्पतालों के रिक्त टेक्निशियनों के पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।

(4) पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(5) नकली दवाईयों पर प्रतिबंध और कार्यवाही हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

108 एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम परसदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम तागा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।

(3) अकलतरा विकासखण्ड के अकलतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बूलेंस व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(4) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा में ग्राम कुरमा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।

(5) विधानसभा क्षेत्र अकलतरा के विकासखण्ड अकलतरा में ग्राम पकरिया (लरिया) में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।

(6) विधानसभा क्षेत्र अकलतरा के विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम चंगोरी में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।

(7) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम परसाही (नाला) में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।

(8) विधानसभा क्षेत्र अकलतरा के विकासखण्ड अकलतरा के ग्राम धनपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।

(9) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बलौदा विकासखण्ड में ग्राम छीतापाली में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उल्लेख नहीं है।

9. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) देवभोग को सिविल अस्पताल का दर्जा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(2) देवभोग चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेलतरा स्वास्थ्य केन्द्र को एबुंलेंस प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला अस्पताल धमतरी में डायलीसिस व सीटी स्कैन शुरू करना शामिल नहीं है।

(2) ग्राम पंचायत सेवा में 10 बिस्तर अस्पताल संचालित करने की योजना शामिल नहीं है।

(3) नगर पंचायत आमदी में 50 बिस्तर अस्पताल शुरू करने की योजना शामिल नहीं है।

(4) धमतरी में संचालित जिला अस्पताल की 300 बिस्तर करने का प्रावधान नहीं है।

(5) जिला अस्पताल धमतरी सर्वसुविधा युक्त नया अस्पताल भवन प्रावधान नहीं है।

12. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जर्जर भवन का नया भवन निम्रण कराने का उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत शिवरीनारायण में 30 बिस्तर अस्पताल खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 11,08,93,51,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 16

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में बदलने का उल्लेख नहीं है।

   (2) 200 चिकित्सा विशेषज्ञों के भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापना हेतु प्रावधान नहीं है।

   (4) मेडिकल कॉलेजों में पी.जी. सीटों को बढ़ाने कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान के लिये राशि अपर्याप्त है।

3. **डॉ. रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   भारी भरकम व्यय में कटौती किया जाये। तीन वर्षीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करें।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सिमगा में नर्सिंग कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (2) भाटापारा में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (3) नर्सिंग के पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   शासकीय चिकित्सालयों में विशेषज्ञों की भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला जांजगीर चांपा के जांजगीर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   डॉक्टरों की रिक्त पदों की पूर्ति व मेडिकल कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीटें बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के तिल्दा ब्लॉक में ब्लड बैंक स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमगा ब्लॉक में ब्लड बैंक का प्रावधान नहीं है।

(3) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला बलौदाबाजार में ब्लड बैंक का प्रावधान नहीं है।

(4) बलौदाबाजार में मेडिकल कॉलेज हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 2,93,03,03,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 5

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा गबन की गई राशि को वसूलने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।
   (2) प्रदेश में अवैध शराब का धंधा जोरों से चल रहा है, रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
   (3) पेट्रोल–डीजल पर टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।
   (4) प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने का उल्लेख नहीं है।
   (5) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत अवैध शराब रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु चर्चा का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) पेट्रोल–डीजल में वेट टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।
   (2) शराब बंदी बंद करने का उल्लेख नहीं है।

4. **डॉ.रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) राज्य वस्तु एवं सेवा कर में कमी की जाये।
   (2) वस्तुओं एवं सेवा कर पर अन्य कर में कमी की जाये।
   (3) मंहगाई को रोकने हेतु राज्य उत्पाद शुल्क में कमी की जाये।

5. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) करों की चोरी को रोकने हेतु विशेष कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
   (2) जी.एस.टी. को छोड़कर वित्तीय संसाधन बढ़ाने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) ऑनलाईन स्टाम्प के विक्रय हेतु प्रोत्साहन का उल्लेख नहीं है।
   (4) पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का उल्लेख नहीं है।
   (5) प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का प्रावधान नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिये कोई प्रावधान की स्वीकृति प्रदान की जाय।

7. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे

(1) प्रदेश में शराब बंदी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) देशी व विदेशी मदिरा दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा गबन, लूट, चोरी को रोकने हेतु कोई ठोस उपाय का उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे

शराबबंदी का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे

प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि **रूपये 3,85,25 ,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 23

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बीस सूत्रीय कार्यक्रम बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि नहीं है।

3. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) वृहद निर्माण कार्य हेतु राशि अपर्याप्त है।

   (2) बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कियान्वयन हेतु राशि में कटौती की गई है।

4. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (2) जिला स्थापना हेतु राशि एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

   (3) बीस सूत्रीय कार्यक्रम को चलाने हेतु पर्याप्त राशि की व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   मुनगापदर, विकासखण्ड मैनपुर, जिला गरियाबंद में सामुदायिक योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मतदेय राशि रूपये 3,81,31,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 42

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मांग अनुसार रोजगार न होने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) प्रदेश के बेरोजगारों को उद्योगें में रोजगार देने का कोई प्रावधन नहीं है।

(3) बिलासपुर क्षेत्र के निजी उद्योगों/प्लांटो में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) बिल्हा में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बिल्हा में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधन नहीं है।

2. डॉ. रमन सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेरोजगारों को न्यूनतम 2500 रू. प्रतिमाह देने का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्व रोजगार हेतु कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्रामीण रोजगार का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) कौशल उन्नयन के तहत प्रशिक्षितों को रोजगार प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

(4) निःशुल्क तकनीकी शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख नहीं है।

(5) रोजगार आयोग का उल्लेख नहीं है।

(6) उद्योग/प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलबध कराने का उल्लेख नहीं है।

(7) घर–घर रोजगार, हर घर रोजगार का उल्लेख नहीं है।

(8) 10 लाख बेरोजगारों को 2500 रू. प्रतिमाह भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

(9) बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) केन्द्रीय प्रयोगशाला हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) शिक्षा, खेल के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) शिक्षा, खेल के लिए वाहनों पर क्रय हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) तकनीकी शिक्षा के भवन निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत राशि का प्रयोजन पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) स्व रोजगार कार्यक्रम हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) लाईवली हुड कॉलेज हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) युवा बेरोजगारों को भर्ती परीक्षा में शुल्क माफी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रोजगार आयोग निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) निःशुल्क तकनीकी शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख नहीं है।

(4) बेरोजगारी के संबंध में कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बेरोजगारों को 2500 रू. भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) जिला–बलौदाबाजार के बेरोजगारों के कल्याण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(7) घर–घर रोजगार, हर घर रोजगार का उल्लेख नहीं है।

(8) स्व रोजगार हेतु कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।

(9) पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पर्याप्त साधन संसाधन का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) स्कील डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु पर्याप्त राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

(11) प्रदेश के प्लांटों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले में कोई उल्लेख नहीं है।

(12) बलौदाबाजार जिले में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) भाटापारा आई.टी.आई. में स्टेनों हिंदी/अंग्रेजी की कक्षायें बढ़ाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) बेरोजगारों को न्यूनतम 2500 रू. प्रतिमाह देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) भाटापारा विधानसभा के ग्राम–देवरी में आई.टी.आई. प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्युटर लैब का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे

प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के बेरोजगारों, नवजवानों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कौशल विकास योजना के तहत मिल रहे प्रशिक्षण को प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के बेरोजगारों को 2500 रू. बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बेरोजगारी दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के भटगांव में आई.टी.आई. खोलने का (शिक्षा हेतु) उल्लेख नहीं है।

(2) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के भटगांव में संचालित आई.टी.आई में नये ट्रेड शुरू खोलने का उल्लेख नहीं है।

(3) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायत आमदी के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

(4) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत आमदी एवं ग्राम–गंवा में आई.टी.आई शुरू खोलने का उल्लेख नहीं है।

(5) पॉलीटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रूद्री (धमतरी) को अपग्रेड कर शुरू करने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 44

उच्च शिक्षा

मतदेय राशि रूपये 8,57,97,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 38

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) नगर पंचायत बोहरी में नया कॉलेज खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) ग्राम बरतोरी में महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) नग़र पंचायत बोदरी विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में नवीन महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

2. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) रायपुर में शारीरीक शिक्षा महाविद्यालय स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रायपुर के चंगोराभाठा में महिला महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) टिकरापारा रायपुर में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, ई–क्लास रूम बनाने कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मुंगेली विधानसभा के ग्राम जरहागांव में नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री ननकीराम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नये महाविद्यालय खोलने हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य के संर्वधन हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

ग्राम–लालपुर थाना तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली में शासकीय विज्ञान, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मोपका नवीन कॉलेज के भवन और संसाधन के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के सभी कॉलेजों में वाई–फाई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(3) सिमगा महाविद्यालय के खेल मैदान और आहाता बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) योग शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(5) उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को अनुदान देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में ऑडिटोरियम का निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) भाटापारा और सिमगा में नवीन छात्रावास का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, ई–क्लास रूम बनाने पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) भाटापारा मोपका नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड–अकलतरा के नरियरा में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड–बलौदा के पहरिया में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में ग्राम–भोथिया में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में ग्राम–बम्हनीडीह में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में ग्राम–कुरदा में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में ग्राम–छपोरा में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) विधानसभा क्षेत्र जैजेपुर में ग्राम–नरयिरा में महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) गोहरापहर विकासखण्ड–मैनपुर, जिला–गरियाबंद में महाविद्यालय भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) देवभोग जिला–गरियाबंद में कन्या महाविद्यालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

11. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बेलतरा विधानसभा के शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय (बायोलॉजी, गणित) खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बाबू छोटेलाल, श्रीवास्तव महाविद्यालय धमतरी में एल.एल.एम. की कक्षायें शुरू करने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बलौदाबाजार के सांईस कॉलेज में भौतिक शास्त्र स्थापना हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बलौदाबाजार में बी.एड. कॉलेज हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–सलखन, मुलमुला, ससहा में महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ में नवीन कन्या महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 46

विज्ञान और टेक्नालॉजी

मतदेय राशि **रूपये** 25,35,00,**000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 41

1. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) वैज्ञानिक आयोग की स्थापना का उल्लेख नहीं है।
   (2) वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) सांईस सिटी की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (2) वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिये पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।
   (3) विज्ञान और प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में प्रोत्साहन योजना का कोई उल्लेख नहीं है।
   (4) नवीन टेक्नॉलोजी के उपयोग एवं प्रशिक्षण का कोई उल्लेख नहीं है।
   (5) वैज्ञानिक आयोग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 43

खेल और युवक कल्याण

मतदेय राशि **रूपये 70,28,65,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 09

1. **श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) ग्राम–सांवा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

    (2) ग्राम–गोरी में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

    (3) ग्राम–बरतोरी में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

    (4) ग्राम–दगोरी, बिल्हा जिला–बिलासपुर में "जिम" स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (5) ग्राम–परसदा, बिल्हा जिला–बिलासपुर में "जिम" स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

    (6) ग्राम–सिलदहा, ग्राम पंचायत सिलदहा, पथरिया जिला–मुंगेली में "मिनी स्टेडियम" निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

    (7) ग्राम–बरतोरी, विकासखण्ड–बिल्हा, जिला–बिलासपुर में "मिनी स्टेडियम" हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

2. **डॉ रमन सिंह, सदस्यः एक रूपये की कमी की जावे.**

    राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम को पूर्ण करने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) भाठागांव रायपुर में स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता की योजना का उल्लेख नहीं है।

    (3) प्रत्येक ब्लॉक में 100 बिस्तर खेल छात्रावास का उल्लेख नहीं है।

    (4) खेल कोच भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

    (5) खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

    (6) खेल मैदान/स्टेडियम हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

    (7) युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) मुंगेली विधानसभा के ग्राम–चकरभाठा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

    (2) मुंगेली विधानसभा के ग्राम–कंटेली में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(3) मुंगेली विधानसभा के ग्राम–भथरी में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(4) स्टेडियम व खेल मैदान निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) खेल स्टेडियम निर्माण हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पंचायत–लोरमी जिला–मुंगेली में सर्व सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पूर्व में बनाये गये मिनी स्टेडियमों के रख–रखाव हेतु पर्याप्त धन राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भाटापारा और सिमगा में वृहद खेल मैदान बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु जिलास्तर पर कोच की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में सभी जिलों में खेल प्रोत्साहन हेतु पर्याप्त राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) सभी नगर पंचायतों में क्रीड़ा विभाग की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) प्रत्येक विकासखण्ड में 100 बिस्तर खेल छात्रावास बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) जिला तथा विकासखण्डों में पर्याप्त खेल कोष हेतु धन राशि का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) राष्ट्रीय स्तर तक खेलों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार देने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) अकलतरा विकासखण्ड स्थित ग्राम–कटघरी में युवाओं के लिए कबड्डी खेल मैदान का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड बलौदा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड ग्राम–नरियरा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड ग्राम–कोटमीसुनार में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड ग्राम–पोड़ी में मिनी स्टेडियम निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम के अपूर्ण कार्यो को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम–पौंसरा में मिनी स्टेडियम निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कोच, प्रशिक्षक व मैदान हेतु कोई ठोस कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के खिलाड़ियों के शासकीय सेवा में प्राथमिकता से भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी जिले में कुश्ती खेल अकादमी शुरू करने की योजना का कोई उल्लेख नहीं हैं।